बाल आयोग ने निपटाई अपनी पहली शिकायत

हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के पॉक्सो ई-बॉक्स पर की गई पहली शिकायत पर आयोग की त्वरित कार्रवाई से एक्शन हुआ है। मामला बीते एक सितंबर का है जब हरियाणा के हिसार के नारनौंद की रहने वाले एक नाबालिग बच्ची के पिता ने आयोग की वेबसाइट पर बने हुए पॉक्सो ई-बॉक्स पर उसके यौन शोषण की शिकायत की। इसके बाद आयोग ने तत्काल कदम उठाते हुए एक जांच दल का गठन किया और उसे हिसार जाकर तथ्यों की पड़ताल करने को कहा। जांच के बाद आयोग ने हिसार के सिटी मजिस्ट्रेट को पॉक्सो कानून 2012 के तहत कार्रवाई करने का आग्रह किया। इसी आधार पर तीन सितंबर को इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। साथ ही पुलिस ने जांच के बाद स्कूल के कुक और प्रिंसिपल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है। आयोग की टीम को अपनी पड़ताल में पता चला है कि यह मामला हिसार के एक स्कूल में छात्रावास में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रही छात्राओं के शोषण का था। इसमें दल ने छात्राओं और उनके अभिभावकों से उनके गांव जाकर लिखित शिकायत पत्र लिया और उसे पड़ोसियों से सत्यापित कराया। इस स्कूल की शुरुआत 8 अप्रैल 2016 को हुई थी। इसमें 85 छात्राओं ने नामांकन कराया था। अभी यहां 62 छात्राएं हैं। बाल आयोग को विद्यालय में पानी, बिजली और खान-पान की कमी के भी कुछ संकेत मिले हैं।